पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र 113 /अका./वि.प./बैठक/2020, बिलासपुर, दिनांक 27/06/2019

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 31 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 25/06/2020, दिन गुरूवार पूर्वान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष मे आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :–

1.	डॉ. बंश गोपाल सिंह कुलपति पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. बी.एल. गोयल क्षेत्रीय निदेशक पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य
3.	प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)	–	सदस्य
4.	प्रो. मीता झा, (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)	–	सदस्य
5.	डॉ. अनिता सिंह, अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य
6.	श्री संजीव कुमार लवानिया अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य
7.	डॉ. एस. रूपेन्द्र राव अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य

8. श्री रेशमलाल प्रधान — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

9. डॉ. इंदु अनंत — सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

<u>निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1. आयुक्त — सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

2. प्रो. एल.पी. पटैरिया, — सदस्य
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)

3. संचालक — सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.)

4. डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी — सदस्य
कुलसचिव (SED),
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया–

प्रस्ताव क्र. 01– **विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 30 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।**

निर्णय – कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02– **समतुल्य पाठ्यक्रमों में Lateral entry प्रावधान संबंधी नियम का अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय – निम्न संशोधन के पश्चात् प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

1. इसे अध्यादेश मे सम्मिलित किया जाए।
2. ड्राफ्ट के बिन्दु क्रमांक 7 मे संशोधन के साथ 'Equivalance Committee' की अनुशंसा पर 'Compitant Authority' जारी करेंगी लिखा जाए।
3. ड्राफ्ट में बिन्दु क्रमांक 9 को विलोपित किया जाए।

प्रस्ताव क्र. 03– कोविड–19 के संदर्भ में अध्यादेश क्रमांक 1 के भाग C-1:10A संशोधन के अनुरूप अंक योजना में प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 04– विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – दिनांक 06/03/2020 को आयोजित अध्ययन मंडल की संयुक्त बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 02 के लिए यू.जी.सी. से पत्र लिखकर अनुमति लिया जाए। इसी प्रकार दिनांक 06/03/2020 को आयोजित विधि विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 3 LLM पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने हेतु की गई अनुशंसा पर विचार कर निर्णय किया गया कि अभी कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।

प्रस्ताव क्र. 05– **डॉ. गौरी शर्मा के लघु शोध प्रबंध की मूल्यांकन रिपोर्ट सूचनार्थ।**

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई तथा मान्य किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोधकार्य अनुदान नियम 2016 के बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखित "विश्वविद्यालय मे आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् में रखे जायेंगे" के स्थान पर "विश्वविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन को अनुमोदन के लिए माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत किया जाएगा एवं विद्यापरिषद् की बैठक होने पर इसकी सूचना वहां भी दी जायेगी।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

(डॉ. इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्र. 114 /अका./वि.प./बैठक/2020, बिलासपुर, दिनांक 27/06/2020

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्माननीय सदस्यगण –
   - 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी–3, नया रायपुर (छ.ग.)
   - 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

2.3 डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी, कुलसचिव (SED), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

2.7 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU

2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU

2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU

2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU

2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU
की ओर सूचनार्थ।

3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।

4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही–विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।

5. नस्ती हेतु।

कुलसचिव